अध्याय - 2

वाहनों के पंजीकरण और उपयोग पर नियंत्रण एवं विनियमन

अध्याय - 2

वाहनों के पंजीकरण और उपयोग पर नियंत्रण एवं विनियमन

यह अध्याय वाहनों के पंजीकरण, फिटनेस और परमिट जारी करने से संबंधित कमियों को उजागर करता है।

अध्याय का संक्षिप्त विवरण:

- कुल 67,603 वाहन (561 एम्बुलेंस, 34 शैक्षणिक संस्थानों की बसें और 67,008 अन्य परिवहन वाहन), वाहन पोर्टल पर सक्रिय स्थिति के साथ, 31 मार्च 2024 तक वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना थे।
- कुल 43,821 गैर-परिवहन वाहनों का पंजीकरण (वाहन पोर्टल पर सक्रिय स्थिति के साथ) जिनका पंजीकरण नवीनीकरण हेतु लंबित था, 31 मार्च 2024 तक नवीनीकृत नहीं किया गया था।
- कुल 2,362 अस्थायी पंजीकरणों को 31 मार्च 2024 तक स्थायी पंजीकरण संख्या नहीं दी गई, जबकि अस्थायी पंजीकरण से छः माह से अधिक की अवधि व्यतीत हो चुकी थी।
- 361 निर्माण उपकरण वाहनों (सी ई वी) को "अन्य" के बजाय भारी, मध्यम या हल्के मोटर वाहन के रूप में गलत वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप ₹ 6.75 लाख के पंजीकरण शुल्क की कम वसूली हुई।
- राज्य में 30 सितम्बर 2015 तक पंजीकृत 12,001 परिवहन वाहनों को गति नियंत्रक की स्थापना सुनिश्चित किए बिना ही फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए गए।
- 31 मार्च 2024 तक कुल 6,343 सक्रिय परिवहन वाहनों (एन ओ सी, आयु समाप्त, प्रतिस्थापित, परिवर्तित, आर सी निरस्त, आर सी समर्पित, चोरी और स्क्रैप किए गए वाहनों को छोड़कर) के परमिट की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद नवीनीकृत नहीं की गई थी।
- राज्य में 20 शैक्षणिक संस्थान बसें संस्थान के नाम या पदनाम के स्थान पर किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत पाई गईं।
- 31 मार्च 2024 तक राज्य में कुल 1,110 वाहन एक से अधिक आर टी ओ/ए आर टी ओ कार्यालयों में पंजीकृत थे।

2.1 वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना वाहन

मोटर वाहन (एम वी) अधिनियम, 1988 की धारा 56 (1) में परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है तथा इस धारा के अनुसार, जब तक किसी परिवहन वाहन के पास वैध फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं होता, तब तक उसे पंजीकृत वाहन नहीं माना जाएगा। वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र आर टी ओ/ए आर टी ओ तथा अधिकृत स्वचालित परीक्षण केंद्र (ए टी एस) द्वारा जारी किया जाता है। यह प्रमाणपत्र दर्शाता है कि वाहन पूर्णतः फिट है तथा सड़क पर चलने योग्य है।

केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 62 में परिवहन वाहन के फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता अवधि उल्लेखित है[1]। फिटनेस प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निरीक्षण अधिकारी या ए टी एस द्वारा निर्दिष्ट परीक्षण किए जाने के बाद ही किया जाएगा।

वाहन पोर्टल डाटा के विश्लेषण के दौरान, यह पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक, पोर्टल पर सक्रिय स्थिति[2] वाले कुल 67,603 वाहन {561 एम्बुलेंस, 34 शैक्षिक संस्थागत बसें (ई आई बी) और 67,008 अन्य परिवहन वाहन (ओ टी वी)} राज्य में वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना थे, जैसा कि नीचे **चार्ट-2.1** में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है:

चार्ट-2.1: बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के वाहन

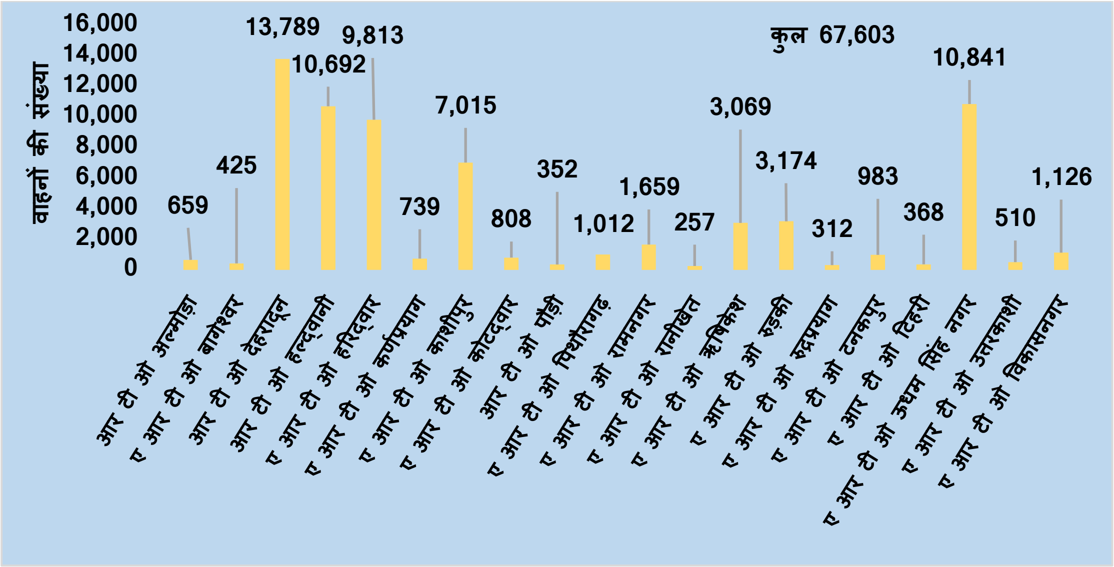

स्रोत: वाहन डाटाबेस।

31 मार्च 2024 तक फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण न होने का आयु-वार विश्लेषण नीचे **चार्ट-2.2** में दिया गया है:

---

[1] नए परिवहन वाहन के लिए आठ वर्ष तक द्विवार्षिक तथा आठ वर्ष के बाद वार्षिक।

[2] एन ओ सी, आयु समाप्ति, प्रतिस्थापित, परिवर्तित, आर सी रद्द, आर सी समर्पित, चोरी और स्क्रैप किए गए वाहनों को छोड़कर।

चार्ट-2.2: वैध फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना चलने वाले वाहनों का आयु-वार विश्लेषण

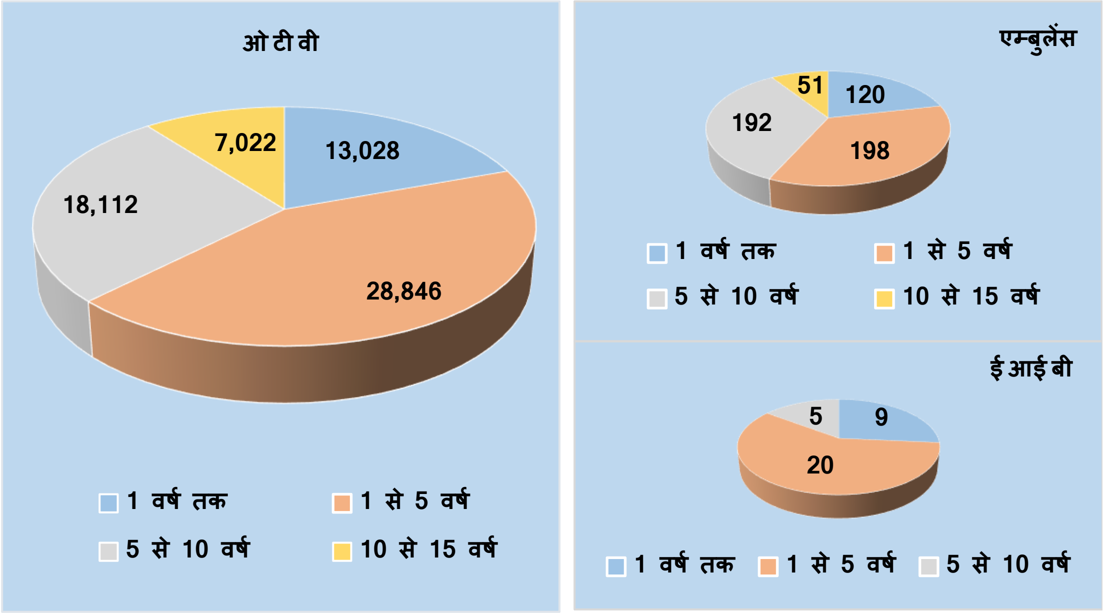

उपरोक्त पोर्टल डाटा को चयनित 216 वाहनों (120 ओ टी वी[3], 80 एम्बुलेंस[4] तथा 16 ई आई बी[5]) के दस्तावेजों को जाँच के माध्यम से सत्यापित किया गया और पाया गया कि 188 वाहनों (103 ओ टी वी, 75 एम्बुलेंस एवं 10 ई आई बी) का जनवरी 2025 तक फिटनेस प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी पाया गया कि इन 188 वाहनों में से 42 वाहन (17 ओ टी वी, 24 एम्बुलेंस एवं 01 ई आई बी) के बीमा का नवीनीकरण उनके फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्ति के पश्चात किया गया था। बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्र के वाहनों का सड़क पर संचालन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाहन लोकेशन ट्रैकिंग (वी एल टी) डाटा के विश्लेषण में पाया गया कि 397 परिवहन वाहनों एवं 91 एम्बुलेंस ने अपने फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के पश्चात भी अलर्ट प्रेषित किए थे।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (अगस्त 2025) में अवगत कराया कि एम वी अधिनियम, 1988 तथा सी एम वी आर, 1989 के प्रावधानों के अनुसार, उल्लंघन तभी माना जाता है जब वाहन सार्वजनिक स्थानों पर समाप्त हो चुके फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ संचालित पाया जाता है। यह भी सूचित किया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2019-24 की अवधि

---

3 आर टी ओ देहरादून-30; आर टी ओ अल्मोड़ा-30; ए आर टी ओ ऊधम सिंह नगर-30; ए आर टी ओ रुद्रप्रयाग-30।

4 आर टी ओ, देहरादून-30; आर टी ओ, अल्मोड़ा-16; ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर-28; ए आर टी ओ, रूद्रप्रयाग-06।

5 आर टी ओ, देहरादून-08; आर टी ओ, अल्मोड़ा-01; ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर-07।

में बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्रों के संचालित वाहनों के विरुद्ध कुल 34,990 चालान जारी किए गए।

विभाग द्वारा ऐसे चालानों का जारी किया जाना इस तथ्य का द्योतक है कि उक्त अवधि के दौरान राज्य में बिना वैध फिटनेस प्रमाणपत्रों के वाहन वास्तव में सड़कों पर संचालित हो रहे थे।

अनुशंसा-1:

जिन वाहनों की फिटनेस वैधता समाप्त हो गई है, उनके वाहन स्वामियों को निर्दिष्ट अंतराल पर एस एम एस के माध्यम से नोटिस या अलर्ट प्रेषित करने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

2.2 गैर-परिवहन मोटर वाहनों का पंजीकरण समाप्ति के बाद नवीनीकृत न होना

एम वी अधिनियम, 1988 की धारा 41 (7) के अंतर्गत, मोटर वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी होने की तिथि से केवल 15 वर्ष की अवधि के लिए वैध रहता है। सी एम वी आर, 1989 का नियम 52 गैर-परिवहन वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण को प्रावधानित करता है, और स्पष्ट करता है कि ऐसे नवीनीकरण हेतु आवेदन पंजीकरण की समाप्ति से 60 दिन पूर्व किया जा सकता है।

वाहन पोर्टल डाटा के अनुसार यह संज्ञान में आया कि 31 मार्च 2024 तक कुल 43,821 गैर-परिवहन वाहन (पोर्टल पर सक्रिय स्थिति के साथ), जिनके पंजीकरण का नवीनीकरण किया जाना अपेक्षित था, नवीनीकरण नहीं किया गया था। ऐसे वाहनों का कार्यालयवार विवरण नीचे **चार्ट-2.3** में दिया गया है:

चार्ट-2.3: अवधि समाप्त होने के पश्चात गैर-परिवहन मोटर वाहनों के पंजीकरण का नवीनीकरण न होना

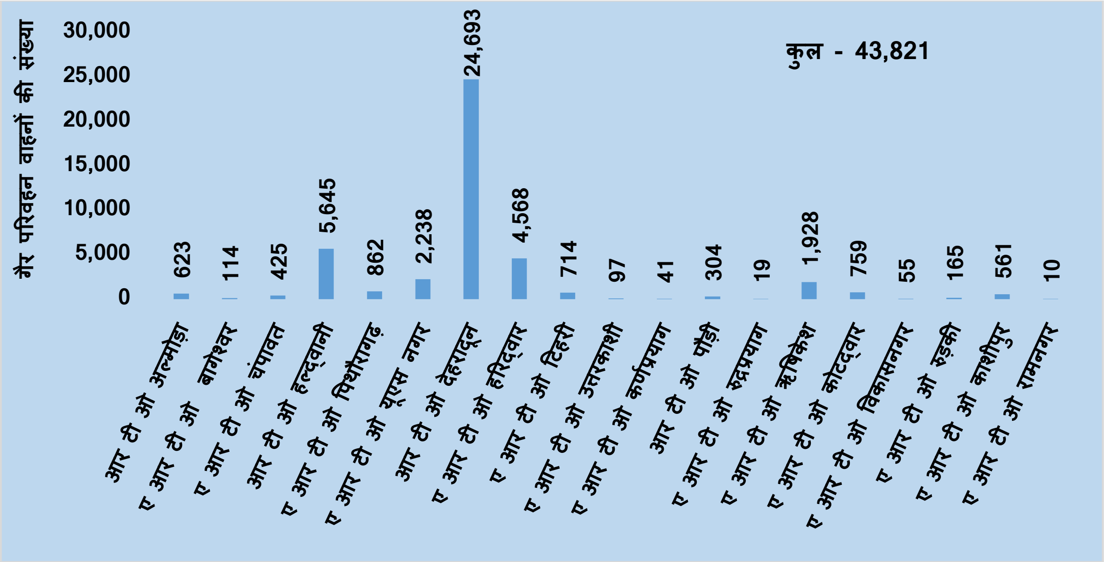

स्रोत: वाहन डाटाबेस।

31 मार्च 2024 तक पंजीकरण के नवीनीकरण न होने का आयु-वार विश्लेषण नीचे **चार्ट-2.4** में दिया गया है:

चार्ट-2.4: गैर-परिवहन मोटर वाहनों के पंजीकरण के नवीनीकरण न होने का आयु-वार विश्लेषण

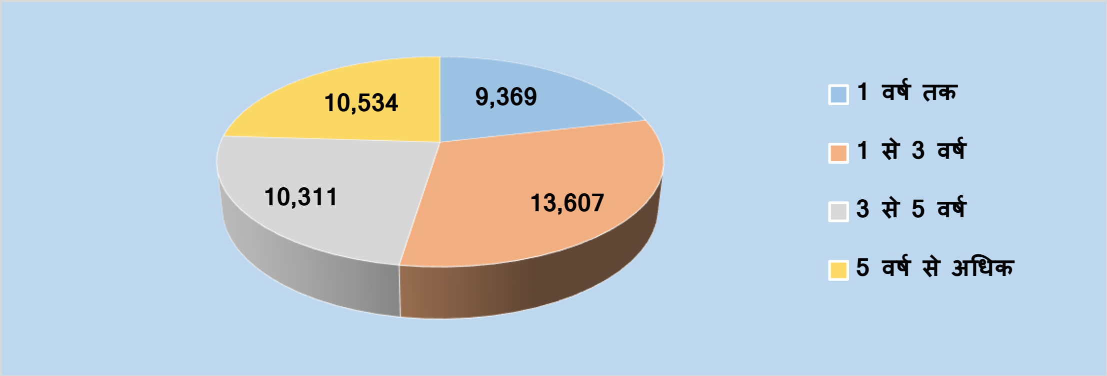

नमूना जाँच की गई चार इकाइयों के 109 चयनित प्रकरणों के अभिलेखों की जाँच द्वारा वाहन पोर्टल डाटा के सत्यापन के दौरान पाया गया कि 70 (64 *प्रतिशत*) गैर-परिवहन वाहनों ने जनवरी 2025 तक अपने पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं कराया था, जैसा कि ***परिशिष्ट-2.1*** में वर्णित है। पंजीकरण का नवीनीकरण किए बिना इन वाहनों के सड़क पर संचालित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर (अगस्त 2025) में अवगत कराया कि एम वी अधिनियम, 1988 तथा सी एम वी आर, 1989 के प्रावधानों के अनुसार उल्लंघन तभी माना जाता है, जब कोई वाहन बिना पंजीकरण के सार्वजनिक स्थानों पर संचालित पाया जाता है। आगे यह भी अवगत कराया गया कि विभाग द्वारा अवधि 2019-24 के दौरान बिना पंजीकरण के नवीनीकरण के संचालित वाहनों के विरुद्ध कुल 54 चालान जारी किए गए।

विभाग द्वारा इन चालानों का जारी किया जाना, स्वतः ही संकेत देता है कि ऐसे वाहन बिना नवीनीकृत पंजीकरण के सड़कों पर संचालित हो रहे थे।

2.3 अस्थायी पंजीकरण के बाद स्थायी पंजीकरण न होना

एम वी अधिनियम, 1988 की धारा 43 यह समय-सीमा देती है कि किसी वाहन का अस्थायी पंजीकरण एक महीने के लिए वैध होता है और इसका नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। कुछ परिस्थितियों में[6], सी एम वी आर, 1989 का नियम 53-बी, वाहनों के अस्थायी पंजीकरण को अधिकतम छः माह के लिए प्रावधानित करता है।

[6] डीलर जिस राज्य में स्थित है, उसके अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में खरीदी गई चेसिस के लिए जारी होने की तिथि से छः महीने के लिए अस्थायी पंजीकरण का प्रावधान।

वाहन पोर्टल डाटा के अनुसार, राज्य में 31 मार्च 2024 तक कुल 2,362 वाहनों को अस्थायी पंजीकरण के बाद स्थायी पंजीकरण संख्या नहीं दी गईं थीं[7]। ऐसे वाहनों का कार्यालयवार विवरण नीचे **चार्ट-2.5** में दिया गया है:

चार्ट-2.5: अस्थायी पंजीकरण के बाद स्थायी पंजीकरण न होना

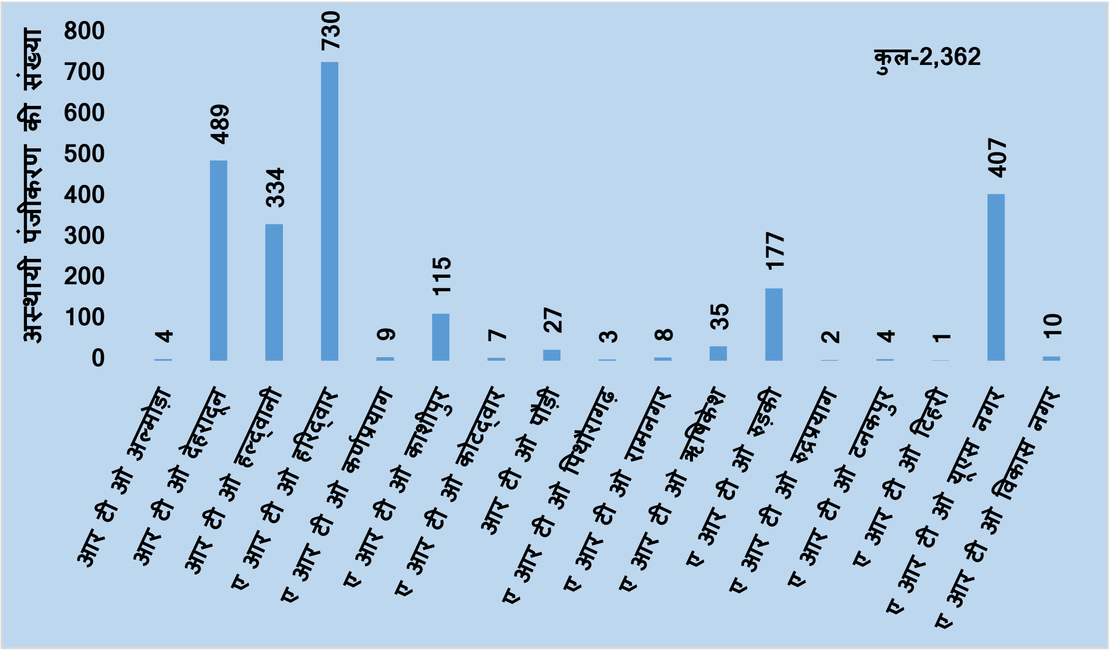

स्रोत: वाहन डाटाबेस।

31 मार्च 2024 तक अस्थायी पंजीकरण के बाद स्थायी पंजीकरण न करने वाले वाहनों का आयु-विश्लेषण नीचे **चार्ट-2.6** में दिया गया है:

चार्ट-2.6: अस्थायी पंजीकरण के बाद स्थायी पंजीकरण न होने का आयु-विश्लेषण

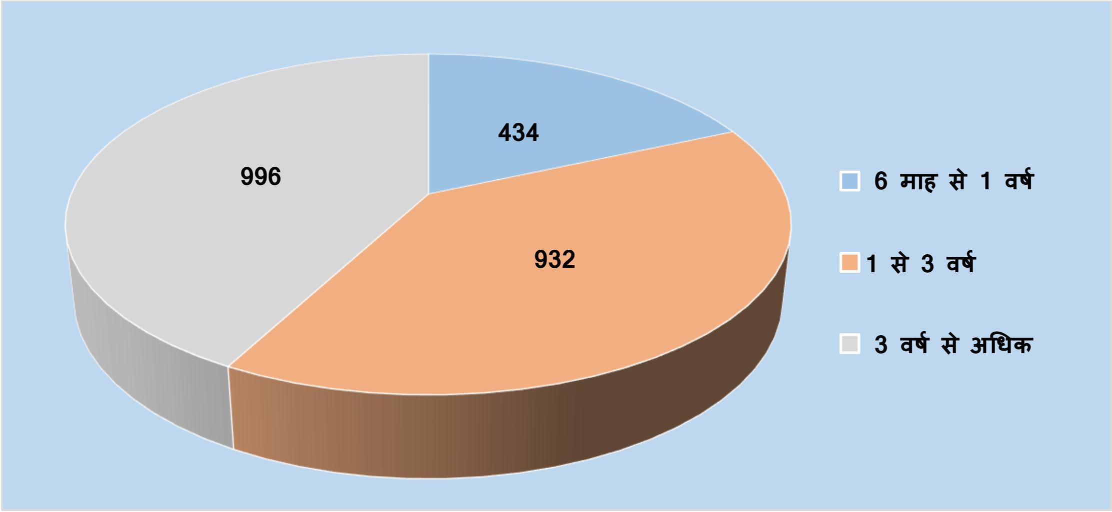

[7] 02 डबल्यू एन-652, 2 डबल्यू टी-1, 3 डबल्यू टी-93, 04 डबल्यू आई सी-1, एच जी वी-219, एच एम वी-3, एच पी वी-4, एल जी बी-92, एल एम वी -1095, एल पी वी-34, एम जी वी-47, एम एम वी-12, एम पी वी-01, ओ टी एच-108

66 चयनित प्रकरणों[8] के अभिलेखों की जाँच द्वारा आँकड़ों का सत्यापन किया गया और पाया गया कि सभी चयनित वाहनों में अस्थायी पंजीकरण के उपरांत स्थायी पंजीकरण जनवरी 2025 तक नहीं कराया गया था।

राज्य सरकार ने उत्तर दिया (अगस्त 2025) कि सी एम वी आर, 1989 के नियम 53 (बी) के अनुसार अस्थायी पंजीकरण की वैधता छः माह की अवधि के लिए होती है। इसके अतिरिक्त, बहिर्गमन गोष्ठी (25 जुलाई 2025) के दौरान तथ्य को स्वीकार करते हुए अवगत कराया कि वर्तमान में वाहन सॉफ्टवेयर में अस्थायी पंजीकरण वाले वाहनों को ट्रैक करने हेतु प्रणाली नहीं है और ऐसी प्रणाली को वाहन प्लेटफॉर्म में विकसित एवं सम्मिलित करने की आवश्यकता है।

2.4 निर्माण उपकरण वाहनों का गलत वर्गीकरण

सी एम वी आर, 1989 के नियम[9] 81 के अनुसार, निर्माण उपकरण वाहनों[10] (सी ई वी) को "अन्य" श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था तथा ऐसे सी ई वी से ₹ 3,000 प्रति वाहन का पंजीकरण शुल्क उद्गृहित किया जाना था।

राज्य में 2019-24 के दौरान पंजीकृत सी ई वी के वाहन पोर्टल डाटा के विश्लेषण में पाया गया कि 375 सी ई वी में से 361 को गलती से "अन्य" के स्थान पर भारी मोटर वाहन (एच एम वी), मध्यम मोटर वाहन (एम एम वी) या हल्के मोटर वाहन (एल एम वी) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.76 लाख के पंजीकरण शुल्क की कम वसूली हुई, जिसका विवरण नीचे **तालिका-2.1** में दिया है:

तालिका-2.1: पंजीकरण शुल्क की कम वसूली

(धनराशि ₹ में)

वाहनों का वर्गीकरण	वाहनों की संख्या	निर्धारित शुल्क (प्रति वाहन)	उदग्रहित शुल्क (प्रति वाहन)	कम वसूली (प्रति वाहन)	कुल कम वसूली
एम एम वी[11]	1	3,000	0	3,000	3,000
एल एम वी	22	3,000	600	2,400	52,800
एम एम वी	226	3,000	1,000	2,000	4,52,000
एच एम वी	112	3,000	1,500	1,500	1,68,000
कुल	**361**				**6,75,800**

स्रोत: वाहन डाटाबेस।

---

8 आर टी ओ, देहरादून (30 प्रकरण), आर टी ओ, अल्मोड़ा (04 प्रकरण); ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर (30 प्रकरण); ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग (02 प्रकरण)।

9 दिनाँक 29 दिसंबर 2016 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित।

10 सी ई वी का अर्थ है रबर टायर युक्त स्व-चालित मशीन, पहिएदार कॉम्पैक्टर, पहिएदार हाइड्रोलिक उत्खनक, पहिया/बैकहो लोडर, स्किड स्टीयर लोडर, डम्पर, मोटर ग्रेडर, मोबाइल क्रेन, डोजर और पेवर आदि।

11 इस वाहन को एम एम वी के रूप में वर्गीकृत किया गया था लेकिन इसके लिए कोई पंजीकरण शुल्क नहीं लिया गया था।

इस डाटा की पुष्टि चयनित 61 प्रकरणों[12] के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान की गई। राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) बताया कि संबंधित कार्यालयों में वसूली की प्रक्रिया गतिमान है।

2.5 गति नियंत्रक की स्थापना सुनिश्चित किए बिना फिटनेस प्रमाणपत्र जारी किया जाना

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 31 जनवरी 2017 को जारी अधिसूचना[13] निर्धारित करती है कि 01 अक्टूबर 2015 से पूर्व निर्मित परिवहन वाहनों में अधिकतम पूर्व-निर्धारित गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा का गति नियंत्रक लगाया जाएगा और जोखिम वाली वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों में अधिकतम पूर्व-निर्धारित गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा का गति नियंत्रक लगाया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (मोर्थ) ने गति नियंत्रकों का डाटा वाहन पोर्टल के साथ एकीकृत करने हेतु निर्देशित (फरवरी 2018) किया था। इस आदेश में वाहन की फिटनेस जाँच के समय गति नियंत्रक का विशिष्ट पहचान संख्या वाहन पोर्टल पर दर्ज करने हेतु आर टी ओ को निर्देशित किया गया था।

वाहन पोर्टल के डाटा के विश्लेषण से यह पाया गया कि राज्य में 30 सितंबर 2015 तक पंजीकृत कुल 12,001 परिवहन वाहनों को वर्ष 2019-24 के दौरान वाहन पोर्टल पर गति नियंत्रक की विशिष्ट पहचान संख्या दर्ज किए बिना फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए गए। यह दर्शाता है कि आर टी ओ द्वारा गति नियंत्रक की स्थापना सुनिश्चित नहीं की गई, जिसका विवरण नीचे **चार्ट-2.7** में दिया गया है:

चार्ट-2.7: गति नियंत्रक की स्थापना सुनिश्चित किए बिना फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए गए

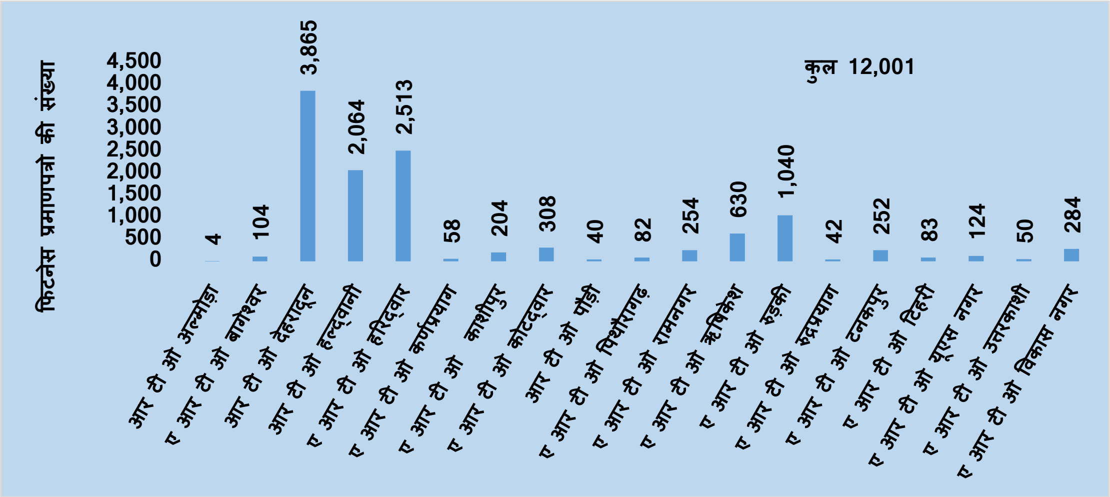

स्रोत: वाहन डाटाबेस।

[12] आर टी ओ, अल्मोड़ा (06 प्रकरण), आर टी ओ, देहरादून (30 प्रकरण); ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर (25 प्रकरण)।

[13] संख्या 85/ix-1/2016/33/2013।

उपरोक्त डाटा का सत्यापन 94 प्रकरणों[14] के अभिलेखों की जाँच के दौरान किया गया और पाया कि गति नियंत्रकों की विशिष्ट पहचान संख्या जनवरी/फरवरी 2025 तक वाहन पोर्टल में दर्ज नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) कहा कि प्रकरणों का सत्यापन किया जाएगा और वाहनों में गति नियंत्रक की स्थापना सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

2.6 परिवहन वाहनों के परमिट का नवीनीकरण न किया जाना

एम वी अधिनियम, 1988 की धारा 66 (1) और 88 (1) के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्रों में वैध परमिट के साथ परिवहन वाहन चलाने का प्रावधान है और ऐसे परमिट की वैधता पाँच वर्ष की अवधि के लिए होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 81 (2) निर्धारित करती है कि परमिट की समाप्ति तिथि से कम से कम 15 दिन पहले प्रस्तुत आवेदन पर उसका नवीनीकरण किया जा सकता है। परिवहन वाहन परमिट एक कानूनी दस्तावेज है, जो राज्य या सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण द्वारा जारी किया जाता है, जो किसी मोटर वाहन को मोटर वाहन अधिनियम और नियमों में उल्लिखित निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए परिवहन वाहन के रूप में उपयोग करने के लिए अधिकृत करता है।

वाहन पोर्टल डाटा के विश्लेषण में पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक कुल 6,343 सक्रिय परिवहन वाहनों (एन ओ सी, आयु समाप्त, प्रतिस्थापित, परिवर्तित, निरस्त आर सी, समर्पित आर सी, चोरी और स्क्रैप किए गए वाहनों को छोड़कर) के परमिट वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी नवीनीकृत नहीं किए गए थे। जिन वाहनों के परमिट नवीनीकृत नहीं किए गए, उनका कार्यालयवार विवरण नीचे **चार्ट-2.8** में दिया गया है:

चार्ट-2.8: परमिट नवीनीकरण के बिना परिवहन वाहन

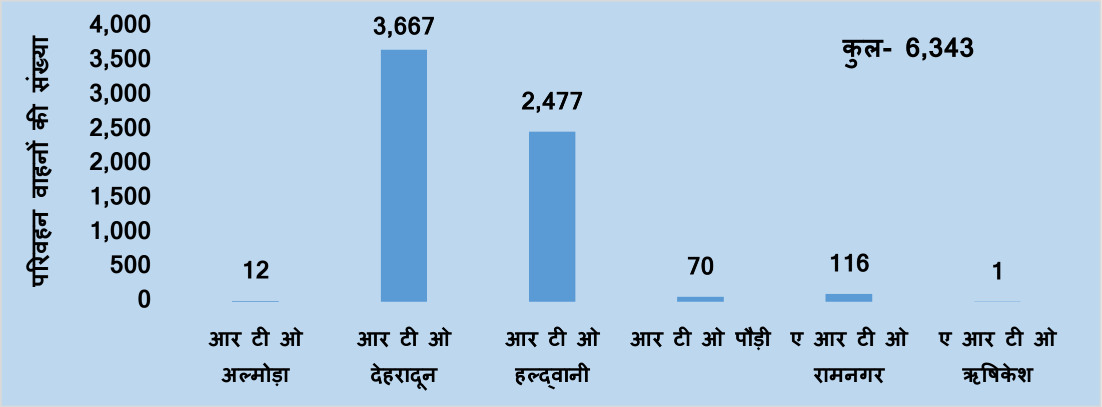

स्रोत: वाहन डाटाबेस।

[14] आर टी ओ, देहरादून (30 प्रकरण); आर टी ओ, अल्मोड़ा (04 प्रकरण); ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर (30 प्रकरण) एवं ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग (30 प्रकरण)।

31 मार्च 2024 तक परमिट नवीनीकरण के बिना परिवहन वाहनों का आयु-वार विश्लेषण नीचे **चार्ट-2.9** में दिया गया है:

चार्ट-2.9: परमिट नवीनीकरण के बिना परिवहन वाहनों का आयु-वार विश्लेषण

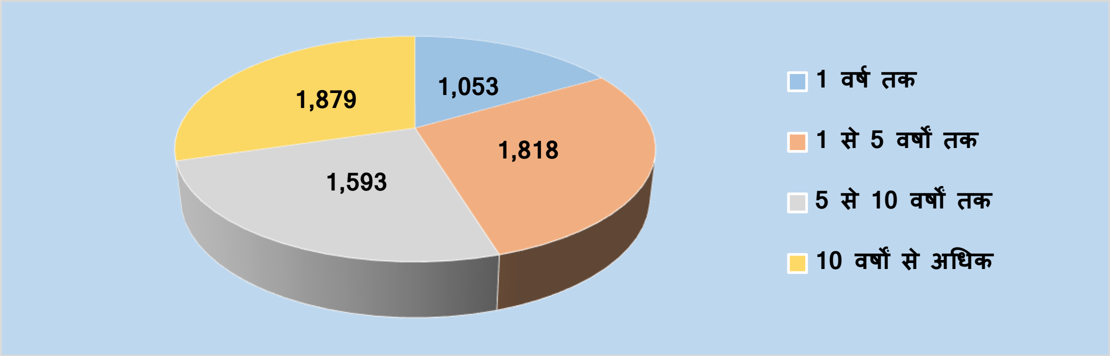

उपरोक्त **चार्ट-2.8** में देखा जा सकता है, ए आर टी ओ, रामनगर तथा ए आर टी ओ, ऋषिकेश द्वारा ऐसा किए जाने के लिए अधिकृत न होते हुए भी 117 वाहनों को परमिट जारी किए गए थे। उपरोक्त डाटा का सत्यापन (जनवरी 2025) चयनित 42 प्रकरणों[15] के अभिलेखों की जाँच के माध्यम से किया गया और पाया गया कि 42 में से 35 वाहनों[16] का जनवरी 2025 तक परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी देखा गया कि इन 35 वाहनों में से नौ वाहनों का बीमा, परमिट की वैधता समाप्ति के पश्चात नवीनीकृत किया गया था। परमिट की वैधता समाप्ति के पश्चात इन वाहनों के सड़क पर संचालित होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार ने उत्तर (अगस्त 2025) दिया कि परमिट का नवीनीकरण न कराया जाना अपने आप में उल्लंघन नहीं माना जाता। तथापि, विभाग द्वारा 2019-24 की अवधि के दौरान बिना वैध परमिट के संचालित वाहनों के विरुद्ध 28,896 चालान जारी किए गए।

विभाग द्वारा इन चालानों का निर्गत करना स्वतः ही संकेत देता है कि बिना वैध परमिट वाले वाहन सड़कों पर संचालित हो रहे थे।

अनुशंसा-2:

जिन वाहनों के परमिट की वैधता समाप्त हो गई है, उनके वाहन स्वामियों को निर्दिष्ट अंतराल पर एस एम एस के माध्यम से नोटिस या अलर्ट भेजने के लिए एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

---

[15] आर टी ओ, देहरादून (30) और आर टी ओ, अल्मोड़ा (12)।

[16] आर टी ओ, देहरादून (28) और आर टी ओ, अल्मोड़ा (07)।

2.7 शैक्षणिक संस्थान की बसों का व्यक्तिगत नाम पर पंजीकृत किया जाना

एम वी अधिनियम, 1988 की धारा 2 (11) के अनुसार, शैक्षणिक संस्थान बस (ई आई बी) किसी कॉलेज, स्कूल या अन्य शैक्षणिक संस्थान के स्वामित्व वाला वाहन है, जिसका उपयोग केवल उस शैक्षणिक संस्थान की गतिविधियों से संबंधित छात्रों या कर्मचारियों के परिवहन हेतु किया जाता हो। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, ई आई बी केवल संस्थान के नाम या संस्थान के पदनाम जैसे-प्रबंधक, प्रधानाचार्य आदि पर ही पंजीकृत की जा सकती है एवं किसी व्यक्ति/व्यक्तिगत के नाम पर पंजीकृत नहीं की जा सकती।

वाहन पोर्टल डाटा के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक राज्य में कुल 20 ई आई बी संस्थान के नाम या पदनाम के बजाय किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत थीं। इस डाटा की पुष्टि जनवरी 2025 में चयनित चार इकाइयों में से दो इकाइयों के ई आई बी से संबन्धित सात प्रकरणों[17] के अभिलेखों के सत्यापन के दौरान हुई। आर टी ओ, अल्मोड़ा एवं ए आर टी ओ, रुद्रप्रयाग में इस प्रकार का कोई प्रकरण नहीं पाया गया।

बहिर्गमन गोष्ठी (25 जुलाई 2025) के दौरान, राज्य सरकार ने अवगत कराया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी।

2.8 वाहन का एक से अधिक आर टी ओ में पंजीकृत होना

बिक्री प्रमाणपत्र अर्थात फॉर्म-21, एक अनिवार्य दस्तावेज़ है, जो पंजीकरण के समय आवश्यक है, जिसमें वाहन का चेसिस नंबर (वी आई एन- वाहन पहचान संख्या) और इंजन नंबर अंकित होता है, जो विशिष्ट कोड होता है, जिसे वाहन के पंजीकरण के समय दर्ज किया जाता है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 58 में मोटर वाहन का एक पंजीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र से दूसरे पंजीकरण प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में स्थानांतरित होने वाले प्रकरण में वाहन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन ओ सी[18]) जारी किये जाने का प्रावधान है।

वाहन पोर्टल डाटा के विश्लेषण में यह पाया गया कि 31 मार्च 2024 तक राज्य में कुल 1,110 वाहन एक से अधिक आर टी ओ/ए आर टी ओ कार्यालयों में पंजीकृत थे। यह डाटा चेसिस नंबर एवं इंजन नंबर की समानता की पुष्टि के आधार पर प्राप्त किया गया था।

---

[17] आर टी ओ, देहरादून-04; ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर-03।

[18] एन ओ सी प्राप्त करने पर ही, पिछले पंजीकरण प्राधिकारी से प्राप्त वाहन पंजीकरण संख्या निरस्त हो पाती है एवं वाहन का पंजीकरण किसी अन्य पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

इस डाटा का सत्यापन नमूना जाँच किए गए चार में से तीन इकाइयों के 76 प्रकरणों[19] के अभिलेखों की जाँच के दौरान किया गया एवं टिप्पणी को सही पाया गया।

राज्य सरकार ने अवगत (अगस्त 2025) कराया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एन आई सी) को डुप्लिकेट वाहन पंजीकरण डाटा की सूची उपलब्ध करने हेतु पत्र, अनुस्मारक सहित प्रेषित किया गया है, जोकि अभी भी एन आई सी से प्राप्त होनी प्रतीक्षारत है।

2.9 मानकों का पालन किए बिना स्वचालित फिटनेस परीक्षण केंद्र संचालित किया जाना

मोर्थ ने अधिसूचना संख्या 652 (ए) दिनाँक 23 सितंबर 2021 के माध्यम से स्वचालित परीक्षण केंद्रों (ए टी एस) की वैधता, विनियमन एवं नियंत्रण, वाहन फिटनेस परीक्षण और स्वचालित उपकरणों के माध्यम से फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिसूचित किया है। केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 175 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ए टी एस का पंजीकरण अनिवार्य है।

यह पाया गया कि भारत सरकार के कोष से राज्य भर में कुल सात[20] ए टी एस का निर्माण किया जा रहा था, जिनका संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जा रहा था। इनमें से तीन, ए टी एस (ऊधम सिंह नगर, देहरादून में डोईवाला तथा हल्द्वानी) मार्च 2024 तक क्रियाशील हो गए थे। उत्तराखण्ड सरकार ने शा आ संख्या 727 दिनाँक 29 दिसंबर 2021 के द्वारा आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड को डोईवाला, देहरादून और ऊधम सिंह नगर जिलों में प्रस्तावित ए टी एस को निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालित करने हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया।

ए टी एस, ऊधम सिंह नगर का संयुक्त निरीक्षण (12 सितंबर 2022) ए आर टी ओ (प्रशासन) और सम्भागीय निरीक्षक (आर आई), तकनीकी द्वारा किया गया और उनकी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित बिंदु पाए गए :

- ✓ तिपहिया और हल्के वाहनों के लिए परीक्षण पथ की चौड़ाई केवल 4.90 मीटर थी तथा मध्यम वाहन और भारी वाहन के लिए यह पाँच मीटर थी, जबकि दोनों प्रकार के वाहनों के लिए सात मीटर की चौड़ाई आवश्यक है।
- ✓ दोनों प्रकरणों में, परीक्षण पथ की लम्बाई आवश्यक मानक 32 मीटर से 0.2 मीटर कम पाई गई।

---

[19] आर टी ओ, देहरादून (30 प्रकरण); आर टी ओ, अल्मोड़ा (16 प्रकरण); ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर (30 प्रकरण)।

[20] देहरादून में दो (डोईवाला एवं विकास नगर), ऊधम सिंह नगर, हलद्वानी, हरिद्वार, रूड़की, टनकपुर।

- ✓ ट्रक ट्रेलर के प्रकरण में, जब प्रवेश द्वार का उपयोग किया जाता है, तो ट्रेलर बाहर रह जाता है जबकि ट्रक/ट्रैक्टर प्रवेश करता है। प्रवेश द्वार थोड़ा ढलान वाला होता है।
- ✓ आगे/पीछे बूम/बकेट से सुसज्जित निर्माण वाहनों के परीक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।
- ✓ मल्टी-एक्सल/आर्टिकुलेटेड वाहनों के ट्रेलरों के परीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।
- ✓ परीक्षण केंद्र निचले इलाके में स्थित है और बरसात के मौसम में पानी जमा होने के कारण काम बाधित होने की संभावना अधिक है।
- ✓ वाहनों के चेसिस सत्यापन/निरीक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है।
- ✓ ए टी एस 33 केवी हाई वोल्टेज लाइन के नीचे स्थित है।
- ✓ निरीक्षण दल को कार्यबल एवं योग्यता से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए।

इस आपत्ति की पुष्टि हेतु लेखापरीक्षा दल, आर आई (तकनीकी), ऊधम सिंह नगर के साथ ए टी एस, ऊधम सिंह नगर का संयुक्त भौतिक निरीक्षण (24 जनवरी 2025) करने के लिए गया, जोकि, ए टी एस संचालक के द्वारा इंकार किए जाने के कारण पूरा नहीं हो सका। यह ए आर टी ओ, ऊधम सिंह नगर और परिवहन आयुक्त कार्यालय को अवगत कराया गया, परन्तु उनके द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया गया।

चित्र-2.1*: *ए टी एस, ऊधम सिंह नगर

इसके अतिरिक्त, यह पाया गया कि ए टी एस संचालक, जो निजी भागीदार था, सरकारी विभाग के नाम का उपयोग कर रहा है (जैसा कि ***चित्र-2.1*** में दर्शाया गया है), जिससे हितधारकों को भ्रमित किया जा रहा है। जबकि यह 'परिवहन विभाग द्वारा अधिकृत' के रूप में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होना चाहिए।

इन कमियों के बावजूद, परिवहन आयुक्त कार्यालय ने 05 नवंबर 2022 से मैसर्स प्रणाम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड को परीक्षण केंद्रों का कार्यादेश दिया, जो दर्शाता है कि विभाग ने मोर्थ अधिसूचना में दिए गए नियमों और शर्तों का उचित संज्ञान नहीं लिया

था। आर आई (तकनीकी), देहरादून के साथ ए टी एस, डोईवाला, देहरादून (10 फरवरी 2025) के संयुक्त भौतिक निरीक्षण में कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं मिली।

राज्य सरकार ने उत्तर (अगस्त 2025) दिया कि अनुमति आर टी ओ, हल्द्वानी की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर दी गई थी, जिसमें ऐसी कोई कमियाँ उजागर नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, बहिर्गमन गोष्ठी (25 जुलाई 2025) के दौरान, यह अवगत कराया गया कि विभाग ऊधम सिंह नगर में ए टी एस का पुनः निरीक्षण करेगा।

आर टी ओ, हल्द्वानी की निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में क्षेत्र की समग्र चौड़ाई का उल्लेख किया गया है, लेकिन विशेष रूप से निरीक्षण ट्रैक का उल्लेख नहीं किया गया है।